

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

आदेश पत्रक

(देखें अमिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक

केस का प्रकार - T.A Misc case no. 40 /2017-18

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ												
	<p>आवेदक/आवेदिका <u>सोमाय जाजूदा Sonay Jamuda</u>, पिता/पति <u>श्रीक दानसर जाजूदा</u> अनुसूची जनजाति/उपजाति <u>ई</u> चक्रधरपुर, थाना-चक्रधरपुर राजस्व थाना-चक्रधरपुर, अंचल चक्रधरपुर, जिला-पो सिंहभूम ने क्रेता <u>ललिता जाजूदा</u> पिता/पति- <u>मंगल सिंह जाजूदा</u> अनुसूची जनजाति/उपजाति <u>ई</u> के अन्तर्गत ग्राम- <u>वाईको-08</u> थाना-चक्रधरपुर/राजस्व थाना- <u>चक्रधरपुर</u>, अंचल <u>चक्रधरपुर</u>, जिला-पो सिंहभूम के पास जमीन बिक्री/भू-हस्तानान्तरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोमिजो "ए" के अतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है। जमीन का विवरण है :-</p> <table border="1" data-bbox="359 1086 1284 1288"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना सं०</th> <th>थाना</th> <th>खाता सं०</th> <th>प्लॉट सं०</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>बी५५</u></td> <td><u>515</u></td> <td><u>चक्रधरपुर</u></td> <td><u>212</u></td> <td><u>1051</u></td> <td><u>27,500 BK</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक को <u>खपती</u> की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का रकबा <u>27,500 BK</u> का कुल कीमत <u>2,17,250/-</u> रुपये मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोमिजो "ए" के अन्तर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी चक्रधरपुर से अपना जॉच प्रतिवेदन स्पष्ट मन्तव्य सहित दिनांक <u>15/7/17</u> तक मांग करें। अमिलेख दिनांक <u>15/7/17</u> को उपस्थित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p><u>15/7/17</u></p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p> <p><u>15/7/17</u></p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	<u>बी५५</u>	<u>515</u>	<u>चक्रधरपुर</u>	<u>212</u>	<u>1051</u>	<u>27,500 BK</u>	
मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा									
<u>बी५५</u>	<u>515</u>	<u>चक्रधरपुर</u>	<u>212</u>	<u>1051</u>	<u>27,500 BK</u>									

30.1.18

अभिलेख उपस्थापित । जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से निर्धारित अवधि में अप्राप्त है। क्रेता एवं विक्रेता के द्वारा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी नहीं दी गई। इससे प्रतीत होता है कि क्रेता एवं विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय/भूमि हस्तांतरण में कोई अभिरुची नहीं रह गई है। नियमानुसार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" की कार्रवाई 90 दिनों के अन्दर निष्पादित करना है। अतः आवेदकगण की भूमि हस्तांतरण में दिखाई जा रही उदासीनता के आलोक में वाद की कार्रवाई स्थगित की जाती है।

Alenu
 30.1.18
 भूमि सुधार उप समाहर्ता
 पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

6.8.18

अभिलेख उपस्थापित । विक्रेता सोमाय जामुदा, पिता स्व० दानसर जामुदा, ग्राम बोडदा, थाना चक्रधरपुर प० सिंहभूम ने मौजा-बोड़दा, थाना नं०-515, खाता नं०-212, प्लॉट नं०-1051, रकवा-0.27½ ए० भूमि विक्री हेतु दिनांक 02.11.2017 को समर्पित किया गया है। भू-अर्जन कार्यालय प० सिंहभूम चाईबासा के भू-अर्जन वाद सं०-97/2017-18 द्वारा उक्त भूमि उपकारा चक्रधरपुर के निर्माण हेतु अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहित भूमि का टी.ए.मिस कंस के तहत विक्रेता को उक्त भूमि विक्री हेतु अनुमति नहीं दी जा सकती है।
 अतः आवेदक के आवेदन पत्र को अस्वीकृत की जाती है।
 आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करा देंगे। 6.8.18

लेखापित
Alenu
 6.8.18

भूमि सुधार उप समाहर्ता
 पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

Alenu
 6.8.18

भूमि सुधार उप समाहर्ता
 पोड़ाहाट चक्रधरपुर।